सप्तदश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 20 आषाढ़, 1945 (श०)
11 जुलाई, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 08

(1)	शिक्षा विभाग	- -	05
(2)	परिवहन विभाग	- -	01
(3)	समाज कल्याण विभाग	- -	02
		कुल योग --	08

कार्रवाई करना

1. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 जून, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "डिग्री कॉलेजों के अनुदान पर विश्वविद्यालय सुस्त" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 225 अनुदानित डिग्री कॉलेजों को छात्र/छात्राओं की उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान की राशि दी जाती है और उन्हीं अनुदान से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शैक्षणिक वर्ष 2015-18 से 2017-20 तक के अनुदान के लिये विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्ताव नहीं दिये जाने के कारण महाविद्यालयों को अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे शिक्षक-कर्मचारी काफी कठिनाई झेल रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रस्ताव नहीं देने वाले विश्वविद्यालयों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति नहीं करने का औचित्य

2. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 जून, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "विश्वविद्यालयों में वर्ग तीन कर्मियों के 62 प्रतिशत पद खाली" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ग तीन के लगभग 62 प्रतिशत पद रिक्त हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले 20 वर्षों से उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण एक-एक कर्मी को कई अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है, जिससे कार्य प्रभावित होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 20 वर्षों से उपरोक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करने का क्या औचित्य है ?

प्राचार्य की नियुक्ति करना

3. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 अप्रील, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "राज्य के 268 में से 186 कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य नहीं प्रभारी के भरोसे कामकाज" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 268 कॉलेजों में से 180 कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थायी प्राचार्य नहीं रहने के कारण कॉलेजों में पठन-पाठन से लेकर प्रबंधन तक कार्य बाधित रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु स्थायी प्राचार्यों की कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुधार लाना

4. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग UDISE द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य सुविधा युक्त विद्यालय राष्ट्रीय औसत 63 प्रतिशत के जगह बिहार में 7 प्रतिशत, पुस्तक के साथ पुस्तकालय राष्ट्रीय औसत 62 प्रतिशत के जगह बिहार में 26 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय राष्ट्रीय औसत 63 प्रतिशत के जगह बिहार में 30 प्रतिशत और बिजली युक्त विद्यालय राष्ट्रीय औसत 61 प्रतिशत के जगह बिहार में 44 प्रतिशत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में उक्त आँकड़े राष्ट्रीय स्तर से बिहार 20वें पायदान पर है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालयों में संसाधनों के स्तर में सुधार लाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

किताब उपलब्ध कराना

5. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 जून, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "पढ़ाई शुरू हुये 80 दिन बीते, पर 8वीं तक 68 लाख बच्चों को नहीं मिली किताब" को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2023-24 शैक्षणिक सत्र शुरू हुये 80 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब भी लगभग 42 प्रतिशत बच्चों यानी लगभग 68 लाख बच्चों के हाथ में किताब नहीं पहुँची है, किताब न मिलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को किताब उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अंकुश लगाना

6. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 7 मई, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "सूबे में तेज रफ्तार वाहनों से होने वाली मौत 115 प्रतिशत बढ़ी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में तेज रफ्तार वाहनों के कारण सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत 115 प्रतिशत बढ़ गई है, जबकि वर्ष 2021 में तेज वाहन से 2286 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 2284 लोगों की मृत्यु हुई, वर्ष 2022 में तेज वाहन से 6049 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 4928 लोगों की मृत्यु हो गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ठक्त सड़क दुर्घटना शराब पीकर वाहन चलाने, हेलमेट नहीं पहनने एवं ब्लैक स्पॉट के कारण हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में तेज रफ्तार वाहनों से होने वाली मौत को रोकने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

7. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 अप्रील, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "50 प्रतिशत कुपोषित चेनिंग मशीनें खराब, इसलिये पोषण केन्द्रों पर पहुँच नहीं रहे बच्चे, नतीजा हम नाटेपन में दूसरे, दुबलेपन में तीसरे नम्बर पर" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 18 जिलों में यथा जमुई में 43 प्रतिशत, शेखपुरा में 53.6 प्रतिशत कुपोषित होने के कारण नाटेपन में दूसरे, दुबलेपन में तीसरा स्थान देश में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 50 प्रतिशत कुपोषण चेनिंग मशीन खराब होने के कारण राज्य के 6 साल के बच्चे का वजन मापने एवं लम्बाई का लेखा नहीं मिलने के कारण कुपोषित बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नाटेपन एवं दुबलेपन में कमी लाने हेतु कौन-कौन सी कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिनियम का अनुपालन

8. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 मई, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "कार्यस्थल पर 28 जिलों में नहीं खुले काउंसिलिंग केन्द्र" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत राज्य के सभी जिलों में स्थानीय अतिरिक्त काउंसिलिंग केन्द्र खोलना था लेकिन अभीतक मात्र दस जिला यथा अररिया, गोपालगंज, अरवल, औरंगाबाद, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सुपौल, भागलपुर एवं भोजपुर में ही केन्द्र खोला गया है शेष 28 जिलों में काउंसिलिंग केन्द्र नहीं खोला गया है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के 28 जिलों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने हेतु काउंसिलिंग केन्द्र कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 11 जुलाई, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 22(एल0ए0), 2023-24-डी0टी0पी0-550